रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2008/आश्विन 22, 1930
No. 160] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2008/ASVINA 22, 1930

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2008

सं. एल-7/1/0844(159)-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "परामर्शी" से कोई व्यष्टिक, फर्म, निकाय या ऐसे व्यक्तियों का संगम सम्मिलित है जो आयोग के नियोजन में नहीं हैं, जिनके पास कोई विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या कुशलता है;

(घ) "परामर्श मूल्यांकन समिति" जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "सीईसी" कहा गया है, से, यथास्थिति, विनियम 6 या विनियम 7 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "सचिवालय" से आयोग का सचिवालय अभिप्रेत है; और

(च) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है ।

3. कार्यक्षेत्र

(1) परामर्शियों की नियुक्ति सामान्यतः उन दिन प्रतिदिन के नेमी कार्य के लिए नहीं की जाएगी जिसके लिए इन-हाउस सुविधा उपलब्ध है ।

(2) परामर्शियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की जाएगी, अर्थात्: --

(क) सुसंगत तथा आयोग के हित में विनिर्दिष्ट मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह देने;

(ख) बेहत्तर पद्धतियों का अध्ययन करने, आंकड़े का विश्लेषण करने, बैंचमार्क विकसित करने तथा उसी प्रकार के किसी अन्य प्रयोजन के लिए; और

(ग) ऐसे अनुभव तथा अर्हताओं वाले कार्यों को करने, जो आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं या आयोग की राय में परामर्शी की नियुक्ति से क्वालिटी, लागत, समय या किसी अन्य विचार से कार्य को पूरा करने में अधिक प्रभावकारी और दक्षता आएगी ।

4. नियुक्ति की अवधि

परामर्शियों की नियुक्ति न्यूनतम अवधि के लिए की जाएगी तथा किसी भी दशा में, परामर्शी की नियुक्ति लगातार तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. परामर्शियों का प्रवर्गीकरण

परामर्शियों को निम्नलिखित रूप में प्रवर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्: --

(क) कारपोरेट परामर्शी;

(ख) व्यष्टिक परामर्शी; और

(ग) वृत्तिक विशेषज्ञ ।

6. कारपोरेट परामर्शी

(1) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि उन परामर्शी सेवाओं को लेने की आवश्यकता है, जो उसकी राय में, फर्म, या किसी कंपनी या व्यक्ति संगम या निकाय द्वारा प्रदान की गई सेवा से अधिक समुचित हो सकेगी, सचिवालय को कार्य के क्षेत्र, विभिन्न परिदेयों, मील के पत्थर तथा प्रत्येक उपलब्धि से संबंधित संदाय अनुसूचियों को उपदर्शित करते हुए निर्देश-निबंधन तैयार करने का निदेश देगा ।

(2) अध्यक्ष सीईसी का गठन करेगा जिसमें सचिव, आंतरिक वित्त सलाहकार, ऐसा अधिकारी जिसे उस कार्यक्षेत्र का ज्ञान होगा जिसके लिए परामर्शी सेवाएं अभिप्राप्त की जानी हैं तथा यदि आवश्यक समझा जाए, एक बाहरी विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, सम्मिलित होगा ।

(3) सीईसी आवश्यक उपांतरण, यदि कोई हों, करने के पश्चात् कारपोरेट परामर्शी की नियुक्ति के निर्देश-निबंधन के लिए अध्यक्ष की अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी ।

(4) सीईसी बोली के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पैरामीटरों के लिए तकनीकी प्रस्ताव के कम से कम 70% वरीयता का आबंटन करने हेतु आबंटित की जाने वाली वरीयता का विनिश्चय करेगा तथा प्रस्तावित वरीयता के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(5) खंड (4) के अधीन वरीयता को अंतिम रूप देने के पश्चात्, सीईसी एक पृथक् सीलबन्द लिफाफे में, कम से कम एक समाचार पत्र में सूचना के प्रकाशन के माध्यम से तथा यथासंभव कम से कम तीन सप्ताह की सूचना देते हुए आयोग की वेबसाइट पर भी एकल प्रक्रम बोली, जिसमें तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव सम्मिलित होंगे, आमंत्रित करेगी :

परन्तु यह और कि मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए, सूचना की अवधि तीन सप्ताह से कम की जा सकेगी किन्तु जो दो सप्ताह, जैसा अध्यक्ष के अनुमोदन से विनिश्चय किया जाए, से कम नहीं होगी ।

(6) सीईसी प्रत्येक पैरामीटरों को आबंटित पूर्व अवधारित वरीयताओं के आधार पर "संयुक्त-क्वालिटी-सह-लागत-आधारित-प्रणाली" के माध्यम से बोलियों का मूल्यांकन करेगी:

परन्तु यह कि सीईसी जब तक कम से कम तीन विधिमान्य बोलियां प्राप्त नहीं हो जाती हैं तब तक बोलियों का मूल्यांकन नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि यदि पर्याप्त संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं होती हैं तो अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से तीन विधिमान्य बोलियों की शर्त को शिथिल किया जा सकेगा ।

(7) कारपोरेट परामर्शी अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा ।

(8) इस विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महत्वपूर्ण प्रकृति के मामले में तथा दस लाख से अनधिक वाले वित्तीय प्रतिबद्धता वाले मामलों में, आयोग एकल स्रोत के आधार पर कारपोरेट परामर्शी की परामर्शी सेवाएं प्राप्त कर सकेगा ।

7. व्यष्टिक परामर्शी

(1) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि उन परामर्शी सेवाओं को लेने की आवश्यकता है, जो उसकी राय में, किसी ऐसे व्यष्टिक द्वारा अधिक दक्षता से की जा सकती हैं, जिसके पास नियत कार्य के लिए पर्याप्त अर्हता तथा अनुभव है, व्यष्टिक परामर्शी नियुक्त करने का विनिश्चय कर सकेगा तथा कार्यक्षेत्र, अभिप्राप्त किए जाने वाले मीलपत्थर, प्रत्येक मील-पत्थर की उपलब्धि से संबंधित संदाय अनुसूचियों तथा परामर्शी सेवाएं अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनुभव तथा अर्हता को उपदर्शित करते हुए निर्देश-निबंधन तैयार करने के लिए सचिवालय को निदेश देगा ।

(2) सीईसी अध्यक्ष के अनुमोदन से गठित की जाएगी तथा जिसका प्रमुख अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला आयोग का सदस्य होगा तथा जिसमें सचिव, आंतरिक वित्त सलाहकार तथा आयोग का ऐसा अधिकारी सम्मिलित होगा जिसे उस कार्यक्षेत्र का ज्ञान हो जिसके लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त की जानी हैं ।

(3) सीईसी आवश्यक उपांतरण, यदि कोई हों, के पश्चात् व्यष्टिक परामर्शी की नियुक्ति के लिए निर्देश-निबंधन हेतु अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी ।

(4) सीईसी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में और यथासंभव कम से कम तीन सप्ताह की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर सूचना के प्रकाशन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(5) प्राप्त आवेदनों के आधार पर, सीईसी परामर्शी की नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताओं तथा अनुभव और लिए गए साक्षात्कार, यदि कोई हों, के लिए दिए गए अंकों से योग्यता क्रम उपदर्शित करते हुए निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किन्तु उस तक सीमित न रहते हुए, व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी, अर्थात्: --

(6) अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी (सीईसी द्वारा तैयार किए गए पैनल से) को व्यष्टिक परामर्शी के रूप में नियुक्त किया जाएगा । नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की लगातार अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(7) व्यष्टिक परामर्शी को उन दरों पर, जो नियुक्ति के समय विनिश्चित की जाएं, निम्नलिखित फीस संदत्त की जाएगी, अर्थात् : --

(क) नियुक्ति की अवधि के लिए प्रतिधारण फीस;

(ख) विनिर्दिष्ट कार्य के पूरा होने पर परामर्शी फीस; और

(ग) वास्तविक खर्चों के लिए प्रभार ।

8. वृतिक विशेषज्ञ

(1) अध्यक्ष, आवश्यकता का समाधान होने पर, आवश्यक प्रकृति के किसी भी विषय पर सलाह के लिए वृतिक विशेषज्ञ की नियुक्ति का विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) अध्यक्ष के ऐसा विनिश्चय करने पर, सचिवालय प्रस्ताव तैयार करेगा तथा कम से कम दो ऐसे वृतिकों, जिनके पास क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता हो, परामर्शी कार्य को स्वीकार करने की उनकी स्वीकृति तथा उनके द्वारा मांग की गई फीस को ध्यान में रखकर एक सूची तैयार करेगा ।

(3) अध्यक्ष ऐसी फीस के संदाय पर तथा ऐसी अन्य शर्तों, जो समुचित समझी जाएं, पर परामर्शी के रूप में नियुक्ति के लिए विशेषज्ञ का नाम अनुमोदित कर सकेगा:

परन्तु इस प्रकार विनिश्चित फीस कार्य की व्यष्टिक मद के लिए दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

9. अध्यक्ष का पद खाली होने पर

अध्यक्ष का पद खाली होने की दशा में, इन विनियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य कर सकेगा ।

10. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 1999 इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से निरसित समझा जाएगा ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए, निरसित विनियमों के अधीन की गई या आशयित कोई बात इन विनियमों के अधीन की गई या आशयित बात समझी जाएगी ।

आलोक कुमार, सचिव ।

[विज्ञापन III/4/असाधारण/150/08]

3958 GI/08-2